II – 157
C. J.

Witness No .... **05** .... for .... अभियोजन साक्षी .... Deposition taken the .... **16/06/2026** .... day of .... Witness's apparent age ...... 25 वर्ष ....

States on affirmation .... शपथपूर्वक .... my name is .... **राहुल यादव** .... Son of .... श्री भुवन लाल यादव .... occupation .... ट्रांस्पोर्टर .... address .... सरकंडा बिलासपुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) ....

परीक्षण द्वारा **श्री संदीप बनाफर** लोक अभियोजक

1. मैं हाजिर अदालत आरोपीगण सरस वर्मा, अयुब खान, राजेश रात्रे, रमेश कुमार रात्रे, कंवल सिंह ठाकुर एवं कन्हैया बजाज को नहीं पहचानता हूँ।

2. आज से लगभग 2 साल पहले मैं अपने काम से थाना पामगढ़ गया था, जहां पुलिस वाले मुझसे कुछ कागजातो में हस्ताक्षर कराये थे। हस्ताक्षर क्यो करवाये थे मुझे नहीं बताया था। इसके अलावा मुझे कोई जानकारी नहीं है।

3. साक्षी को आरोपीगण अयुब खान, सरस वर्मा, राजेश रात्रे, कन्हैया बजाज, कंवल सिंह ठाकुर का मेमोरेण्डम कथन **प्र.पी.–09** से **प्र.पी.–13** दिखाये जाने पर उसके द से द भागो पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार करता है। जप्ती पत्रक **प्र.पी.–14**, **प्र.पी.–15, प्र.पी.–16, प्र.पी.–17** एवं **प्र.पी.–18** दिखाये जाने पर उसके स से स भागो पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार करता है। पुलिस वाले मेरा बयान नहीं लिए थे।

टीपः– इस स्तर पर लोक अभियोजक द्वारा व्यक्त किया गया कि साक्षी सत्यता नही बता रहा है, इसलिये उसे प्रकरण में प्रतिपरीक्षण की अनुमति प्रदान की जावे। साक्षी के पुलिस कथन एवं उसके समक्ष की गई कार्यवाही को देखते हुये विचारोपरान्त अनुमति प्रदान की जाती है।

4. मैं ग्राम चंडीपारा, पामगढ़ के रहने वाले चितरंजन रायसागर को नहीं जानता हूँ। यह कहना गलत है कि मैं चितरंजन रायसागर के साथ काम पर जाने के लिए चंडीपारा गया था तब पुलिस वाले बोले कि चंडीपारा सरस वर्मा के कबाड़ी दुकान की तलाशी लेना है जिसमें आपको गवाह बनना है। यह कहना गलत है कि गवाह बनने के लिए मैं तथा चितरंजन रायसागर तैयार हुये

थे।

5. यह कहना गलत है कि मेरे समक्ष आरोपी अयुब खान ने मेमोरेण्डम कथन **प्र.पी.–09** के स से स भाग "जनवरी माह 2023 .... बरामद करा देता हूँ", का जानकारी पुलिस को दिया था।

6. यह कहना गलत है कि मेरे समक्ष आरोपी सरस वर्मा ने मेमोरेण्डम कथन **प्र.पी.–10** के स से स भाग "माह फरवरी .... बरामद करा देता हूँ", का जानकारी पुलिस को दिया था।

7. यह कहना गलत है कि मेरे समक्ष आरोपी राजेश रात्रे ने मेमोरेण्डम कथन **प्र.पी.–11** के स से स भाग "माह जनवरी .... बरामद करा देता हूँ", का जानकारी पुलिस को दिया था।

8. यह कहना गलत है कि मेरे समक्ष आरोपी कन्हैया बजाज ने मेमोरेण्डम कथन **प्र.पी.–12** के स से स भाग "माह फरवरी 2023 .... बरामद करा देता हूँ", का जानकारी पुलिस को दिया था।

9. यह कहना गलत है कि मेरे समक्ष आरोपी कंवल सिंह ठाकुर ने मेमोरेण्डम कथन **प्र.पी.–13** के स से स भाग " माह फरवरी 2023 .... बरामद करा देता हूँ", का जानकारी पुलिस को दिया था।

10. यह कहना गलत है कि पुलिस वाले मेरे समक्ष आरोपी अयुब खान के पेश करने पर **प्र.पी.–14** के अनुसार बिजली एल्युमिनीयम तार जप्त किये थे। यह कहना गलत है कि आरोपी सरस वर्मा के पेश करने पर **प्र.पी.–15** के अनुसार एल्युमिनीयम तार जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किये थे। यह कहना गलत है कि आरोपी राजेश रात्रे के पेश करने पर एक नग कटर **प्र.पी.–16** के अनुसार जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किये थे।

11. यह कहना गलत है कि आरोपी कन्हैया बजाज, कंवल सिंह ठाकुर के पेश करने पर जप्ती पत्रक **प्र.पी.–17** एवं **प्र.पी.–18** के अनुसार एल्युमिनीयम तार जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया था। यह कहना गलत है कि मैंने **प्र.पी.–29** के अ से अ भाग "दिनांक 02.04.2023 को .... हस्ताक्षर किया हूँ" का कथन पुलिस को दिया था।

12. यह कहना गलत है कि मैं आज आरोपीगण से मिल गया हूँ और उन्हे बचाने के लिए सही बात नहीं बता रहा हूँ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा **श्री आर.एन. उपाध्याय** अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त **रमेश रात्रे, राजेश एवं कन्हैया बजाज**

13. कुछ नहीं।

प्रतिपरीक्षण द्वारा **श्री अनुप मजूमदार** अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त **सरस वर्मा, कवल सिंह एवं अयुब खान**

14. कुछ नहीं।

साक्षी को पढ़कर सुनाया, समझाया गया
सही होना स्वीकार किया गया।

सही/–
(शैलेन्द्र चौहान)
विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम)
जिला–जांजगीर चांपा (छ.ग.)

मेरे निर्देशन पर टंकित।

सही/–
(शैलेन्द्र चौहान)
विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम)
जिला–जांजगीर चांपा (छ.ग.)